उपर्युक्त सभी संविदाओं पर हस्ताक्षण कर लिए गए हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 500 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने का अनुमान है।

संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं के अंतर्गत 8 मध्यम आकार के क्षेत्रों का दूसरा प्रस्ताव अक्तूबर, 1993 में किया गया। 7 मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए 34 बोलियां प्राप्त हुईं। यह सरकार के विचाराधीन हैं।

संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत 28 अन्वेषण ब्लाकों का एक और प्रस्ताव 1995 में किया गया। 7 ब्लाकों के लिए 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह सरकार के विचाराधीन हैं।

Policy for grant of fishing permits

229. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the present policy of Government with regard to grant of fishing permits;

(b) whether Government have cancelled all permits/lease granted to private individuals and also to joint sector on *fishing*;

(c) the financial implication of the present and revised deep sea fishing policy; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) The New Deep Sea Fishing Policy 1991, includes shcemes for Joint Venture, Leasing and Test Fishing for operation of deep sea fishing vessels in the Indian Exclusive Economic Zone. Apart from this, chartering of foreign vessels was allowed under charter policies of 1981 and 1986, which have been phased out and permits are being issued only in respect of the cases where it is legally warranted to grant the same.

(b) No, Sir. However, a committee constituted for making recommendations for the review of deep sea fishing policy has submitted its report on 8th February, 1996. Action has been initiated at inter-Ministerial level to examine the recommendations of this Review Committee.

(c) and (d) As the deep sea fishing policy has not been revised, the question of financial implication in case of its revision does not arise at present.

पुलिस के काम-काज के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए विधिक निकाय की स्थापना

230. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस के काम-काज के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए एक विधिक निकाय की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) भाग को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Collaboration with American companies in food processing industries

231. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian and American companies have decided to develop greater collaboration in the food processing industry;

(b) whether Government have granted permission for the collaboration of the Indian companies with the American companies; and

(c) if so, the details of agreement and its likely impact on Indian food processing industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) Under Indo-US Commercial Alliance, Indian and U.S. companies have expressed intent of greater collaboration with each other.

(b) Yes, Sir.

(c) While Government have not made any specific agreement with any foreign food company, the approvals for foreign investments that have been granted are within the policy framework of foreign investment of the country. These foreign investments are expected to bring in attendant benefits of technology, management, employment generation, market expansion and exports.

नई जहाजरानी और परिवहन नीति

232. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नई जहाजरानी तथा परिवहन नीति शुरु करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब तक नई नीतियों की घोषणा किए जाने तथा लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त नीतियों की मुख्य बातें क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ द्वारा नौवहन नीति की रूपरेखा के संबंध में उठाए गए विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा अपनी सिफारिशें देने के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के तत्वावधान में सितम्बर, 1995 में एक समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

(i) लाइनर, कन्टेनर, बहुविधि, शुष्क बल्क, आर्द्र बल्क, तटीय एवं अपतटीय आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय बेड़े के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए किए जाने वाले उपाय,

(ii) अगले 5 से 10 वर्षों के लिए नियत किए जाने वाले टनभार लक्ष्य की प्रायोजना,

(iii) राष्ट्रीय बेड़े की कारगर तैनाती में मदद करने के लिए पत्तनों एवं जहाज-मरम्मत सुविधाओं जैसे अवसंरचना आधार को सुदृढ़ करने की आवश्यकता,

(iv) कार्गो आधार,

(v) मानव संसाधन विकास,

(vi) वित्तीय प्रोत्साहन,

(vii) कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

यह समिति अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

राष्ट्रीय परिवहन समन्वय समिति के गठन पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

Recommendations of the Committee on deep sea fishing policy

233. SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the Murari Committee constituted by Government to look into the deep sea fishing policy has made recommendations for cancellation of existing deep sea fishing licences;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to implement the recommendations of the committee in toto; and

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor?